| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10-6-25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण की ओर से मुंशी उपस्थित आये कि बहस हेतु अवसर चाहा। अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 17-06-2025 को पेश हो। <br><br> उपखण्ड अधिकारी <br> श्रीमाधोपुर (सीकर) | |
| 17.6.2025 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने फर्द दस्तावेजात् के संलग्न किता–1 दस्तावेज पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी पत्रावली दिनांक 24.06.2025 को पेश हो। <br><br> ( अनिल कुमार ) <br> उपखण्ड अधिकारी <br> श्रीगाधोपुर (सीकर) | |
| 24.06.2025 | पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए अवगत कराया कि उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 25 ... टी0 एक्ट न्यायालय में विचाराधीन ... 04.04.2023 नियत थी। उक्त तारीख को प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता के भरोसे था तथा प्रार्थीगण का अधिवक्ता अन्य न्यायालय में अन्य प्रकरणों की पैरवी हेतु व्यस्त होने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित नही | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
... (सीकर)

अन्तर्देवी बनाम छोटूमल

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज<br>प्रार्थना पत्र कार्यवाही क्रमांक -140/2024 |
|---|---|
| | होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट दिनांक 04.04.2023 को अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज फरमा दिया गया। जिससे प्रार्थीगण को सख्त हक तलफी है। उक्त प्रकरण प्रार्थीगण की मूलभूत आवश्यकता रास्ता बाबत है। उक्त उनवानी प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दिये जाने से प्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात हो रहा है। उक्त प्रकरण न्यायालय द्वारा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दिये जाने की जानकारी पत्रावली को तलाश करवाये जाने पर जानकारी हुई है। इसलिए प्रार्थना पत्र वाजदायरी जानकारी होते ही बिना किसी देरी के पेश किया गया है। उक्त मामला प्रार्थीगण की कृषि भूमियों में आवागमन हेतु रास्ता चाहने बाबत होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट को पुनः नम्बर पर लिया जाकर विधिवत सुनवाई फरमाई जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय फरमाये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।<br><br>वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अवगत कराया कि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट में आवेदकगण एव उनके अधिवक्ता विवादित भूमि बाबत न्यायालय से स्थगन होने के कारण जान बूझकर इस प्रकरण में उपस्थित नही हुये है। प्रकरण [illegible] प्रार्थीगण को किसी प्रकार के हितो का कोई [illegible] प्रार्थीगण को प्रकरण खारिज [illegible] जानकारी रही है। प्रार्थना पत्र बाजदायरी अवधि बाधित है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा समय पर कायम मुकामी आवेदन प्रस्तुत नही करने से मूल प्रकरण | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (सीकर)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए. |
|---|---|---|
| | धुमली बनाम कजोडमल<br>प्रा० पत्र वाजदायरी मु.नं. 140/2024 | |

बंद हो चुका था। जिसे पुनः नम्बर पर नहीं लिया जा सकता। विवादित भूमि के सम्बन्ध में वाद टी.आई. संख्या 99/2018 कजोडमल बनाम् धूडाराम ने दिनांक 20.08.2018 को न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया हुआ है। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को रही है। इसलिए आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र वाजदायरी अवधि में प्रस्तुत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य होने से प्रार्थना पत्र वाजदायरी को खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने बहस वकुलाय ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट के दिनांक 04.04.2023 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने पर न्यायालय में देरीना दिनांक 19.12.2024 को प्रार्थना पत्र वाजदायरी का पेश किया गया है। जिसमें मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र डिले कन्डोन किये जाने बाबत पेश किया जाना प्रकट होता है। वाजदायरी से सम्बन्धित मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट अचल सम्पत्ति का होकर उक्त [illegible] कृषि भूमियों में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण से रास्ता चाहने से सम्बन्धित है। जिसको सिद्ध करने का समस्त दायित्व प्रार्थीगण का ही होता है।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:15 IST
Reason: SelfAttested

कमली देवी बनाम कजोड़मल

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज |
|---|---|
| | प्रा0 पत्र बाजदायरी मु.नं.- 140/2024 |
| | मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट से सम्बन्धित होकर अचल सम्पत्ति का होने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण के प्रति उदार रवैया अपनाते हुए प्रार्थीगण द्वारा मियाद अधिनियम धारा 5 का प्रार्थना पत्र डिले कन्डोन किये जाने का पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र वाजदायरी को न्यायहित में कोस्ट 1000/- अक्षरे एक हजार रूपये मात्र पर स्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट उनवानी प्रकरण कमली देवी वगै0 बनाम् कजोड़मल वगै0 को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाता है। कोस्ट की अदायगी वकील अप्रार्थीगण को की जावे। उक्त मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट का पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर नियमित सुनवाई में रखा जावे। उभय पक्षकारान् मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट मे नियमित सुनवाई हेतु न्यायालय मे दिनाक 21.07.2025 को पेश होने बाबत पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र वाजदायरी फैसल शुमार [illegible] हो। |
| | (अनिल कुमार)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीमाधोपुर (सीकर) |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:59:15 IST
Reason: SelfAttested